कौटिल्य एकेडमी
www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIR

14th JULY 2023

1. सीबीआईसी की मानक संचालन प्रक्रिया
2. समर्थ योजना
3. नाबार्ड ने पिछले 42 वर्षों में 14% की दर से वृद्धि
4. गुइलेन बैरे सिंड्रोम
5. सीबीआईसी की मानक संचालन प्रक्रिया

सीबीआईसी की मानक संचालन प्रक्रिया

- **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर** और **सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)** ने भारत में आगामी चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त, अवैध शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
- एसओपी का उद्देश्य विधानसभा और आम चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, ड्रग्स / नशीले पदार्थों, मुफ्त और तस्करी के सामान के प्रवाह को रोककर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।
- चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप, सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार के प्रलोभनों की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
- अधिकारी निगरानी टीमें स्थापित करेंगे, वाहनों और गोदामों की जांच करेंगे और तस्करी के सामान को पकड़ेंगे। वाहनों की जांच एवं गोदामों के सत्यापन हेतु उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया जाएगा।
- **एसओपी के बारे में:** ई-वे बिल के बिना उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों से जुड़ी साड़ी, पार्टी के झंडे आदि जैसी वस्तुओं की आवाजाही को जब्त किया जा सकता है।

- कर अधिकारी दैनिक आधार पर चुनाव आयोग को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देंगे।
- **सीबीआईसी के बारे में :** यह भारत में वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी निकाय है। यह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी और नशीले पदार्थों से संबंधित नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है। सीबीआईसी इन करों के प्रशासन और संग्रह की देखरेख करता है और अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है। इनमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं।

C.B.I
ऑफिसर के कार्य और शक्तियाँ

समर्थ योजना

- हाल ही में, समर्थ योजना कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल को 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल के साथ विस्तारित किया गया है और **लगभग 75,000 लाभार्थियों** को प्रशिक्षण का अतिरिक्त, लक्ष्य प्रशिक्षण भागीदारों को आवंटित किया गया है
- **कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (SAMARTH)** एक मांग-संचालित और प्लेसमेंट- उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है।
- योजना की क्रियान्वयन अवधि मार्च 2024 तक है। इसका नोडल मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय को बनाया गया है।
- इसका उद्देश्य कताई और बुनाई को छोड़कर, कपड़ा की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए, संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक करना है।
- **समर्थ योजना के बारे में मुख्य तथ्य:-** प्रवेश स्तर के कौशल के अलावा, परिधान और गारमेंटिंग क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार की दिशा में योजना के तहत अपस्किलिंग/री-स्किलिंग कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रावधान भी संचालित किया गया है।
- इस योजना में लागत मानदंडों में **5% की वृद्धि** के साथ फंडिंग पैटर्न को संशोधित किया गया है, जो इस योजना के तहत कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगा।

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Textiles, Government of India

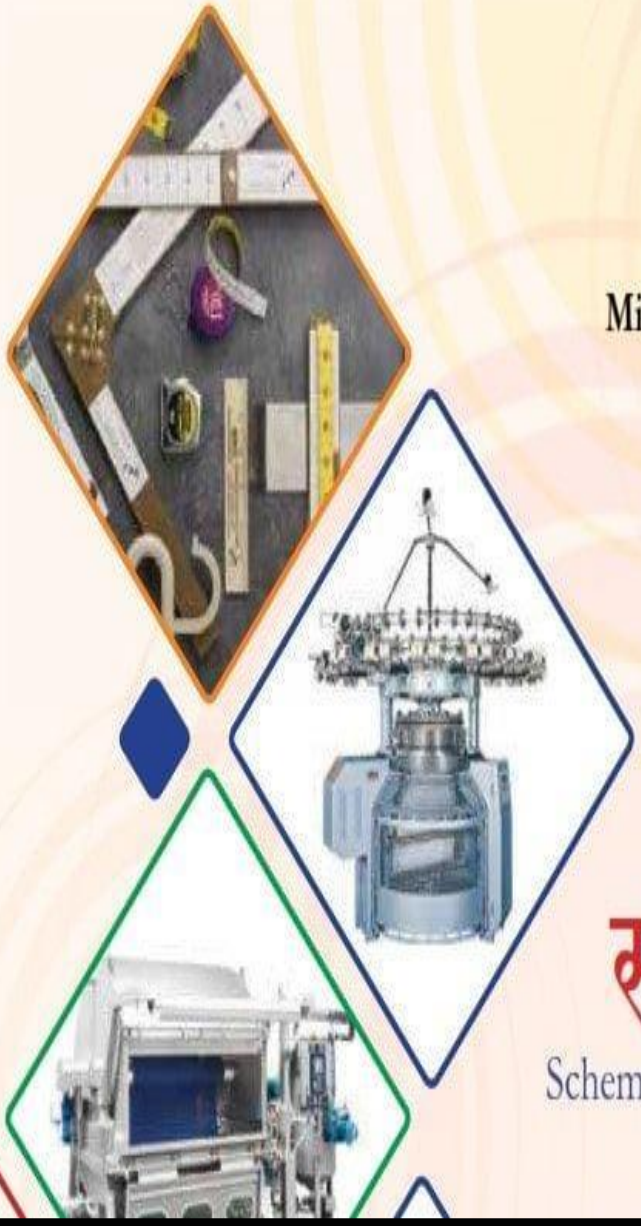

समर्थ (Samarth)

Scheme for Capacity Building in Textile Sector Under the Skill India Mission

www.kautilyaacademy.com | CONTACT: 94250-68121, 91110-10991

उपासना स्थल अधिनियम

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पूजा सील अधिनियम की वैधता पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए **31 अक्टूबर** तक का समय दिया है।
- यह अधिनियम धार्मिक स्थानों की पहचान और चरित्र की रक्षा करता है जैसा कि वे स्वतंत्रता के समय पर थे।
- यह अधिनियम किसी भी पूजा/उपासना स्थल की वस्तुस्थिति को उसी अवस्था में रोक देता/ बनाए रखता है, जैसा कि वह **15 अगस्त, 1947** को थी।
- अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही।
- अयोध्या विवाद के अलावा इस अधिनियम में इन्हें भी छूट दी गई है: कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, या एक पुरातात्त्विक स्थल है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा संरक्षित है।
- **उपासना स्थल अधिनियम क्या है?**
  - साथ ही एक ऐसा वाद जो अंततः निपटा दिया गया हो। कोई भी विवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या किसी सीन का स्थानांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो।

➔ **अधिनियम की धारा 6** अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है।

कानून सही या गलत, इसके अपने-अपने तर्क

कानून क्यों गैर-जरूरी

ये कानून 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैरकानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देते हैं।

ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है।

कानून क्यों जरूरी

देशभर में लगभग सौ ऐसे धर्मस्थल जहां मंदिरों की दावेदारी है। अगर पूजा स्थल कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद फैल सकता था।

ये कानून नहीं रहेगा तो काशी-मथुरा में मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले की तरह कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है।

➔ इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, साथ ही यह एक **"मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि"** आरोपित करता है जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है।

नाबार्ड ने पिछले 42 वर्षों में 14% की दर से वृद्धि

- नाबार्ड ने पिछले 42 वर्षों में 14% की दर से बढ़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में **₹20 लाख करोड़** का पुनर्वित्त प्रदान किया है। इस वित्तपोषण के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर सहकारिता मंत्री ने नाबार्ड से अगले 25 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के वित्तपोषण के लक्ष्य निर्धारण की बात कही क्योंकि भारत **अगले 25 वर्षों में आजादी के 100 साल** पूरे करेगा।
- नाबार्ड ग्रामीण भारत की रीढ़ है क्योंकि नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
- इससे गांव का प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकीं और समाज में खुद को सम्मान के साथ स्थापित कर सकीं हैं।
- नाबार्ड ने देश में **लगभग 1 करोड़** स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किया है, एक तरह से यह दुनिया में माइक्रो-फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संगठनों एवं नाबार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- जिस देश की **65 प्रतिशत** जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, वह देश नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्था के बिना समृद्ध नहीं हो सकता।
- **NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development)** भारत का एक विकास बैंक है जिसे हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं।
- नाबार्ड की स्थापना **वर्ष 1982** में **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981** के तहत की गई थी।
- नाबार्ड भारत का कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए धन मुहैया करने के लिए एक शीर्ष बैकिंग संस्थान है।इस संस्थान का **मुख्यालय मुंबई** में स्थित है।
- देश में नाबार्ड की भूमिका मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)** की भूमिका का ही विस्तार है।
- **नाबार्ड (NABARD)** भारत के ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है साथ ही इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के डिजाइनिंग और उसके क्रियान्वयन में निहित है।

NABARD

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

गुइलेन बैरे सिंड्रोम

➔ **दक्षिणी अमेरिकी राज्य पेरू ने गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (Guillain-Barre syndrome)** का पता चलने के बाद हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। यह आपातकाल 90 दिनों तक रहेगा क्योंकि अधिकारी मामलों में 'असामान्य वृद्धि' से जूझ रहे हैं।

- मर्कोप्रेस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2023 से देशभर में 182 मामले सामने आ चुके हैं।
- **गुइलेन बैरे सिंड्रोम:** एक बहुत ही दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार (Autoimmune Disorder) है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System) को प्रभावित करता है। इसमें शुरुआत में मांसपेशियों में कमज़ोरी, दर्द एवं सुन्नता जैसे लक्षण देखे जाते है, जो 6-12 माह या उससे अधिक समय तक चलने वाले पक्षाघात (Paralysis) में परिवर्तित हो सकते हैं।
- यह सिंड्रोम मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान और स्पर्श संवेदनाओं के लिये ज़िम्मेदार तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है।हालाँकि यह वयस्कों और पुरुषों में अधिक सामान्य है, GBS सभी उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है।
- गुइलेन बैरे सिंड्रोम का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, GBS प्राय: संक्रमण से पहले होता है। यह जीवाणु या विषाणु संक्रमण हो सकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर पर ही आक्रमण करने के लिये प्रेरित करता है।
- दुर्लभ मामलों में टीकाकरण एवं सर्जरी से GBS विकसित होने का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।
- अध्ययनों से जानकारी प्राप्त होती है कि फ्लू जैसे संक्रमणों से GBS होने का जोखिम फ्लू के टीके से होने वाले जोखिम से कहीं अधिक है।

➔ गुइलेन बैरे सिंड्रोम उपचार में प्लास्मफेरेसिस जैसी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, जो प्लाज़्मा को हटा देती है और इसे अन्य तरल पदार्थों से परिवर्तित कर देती है।
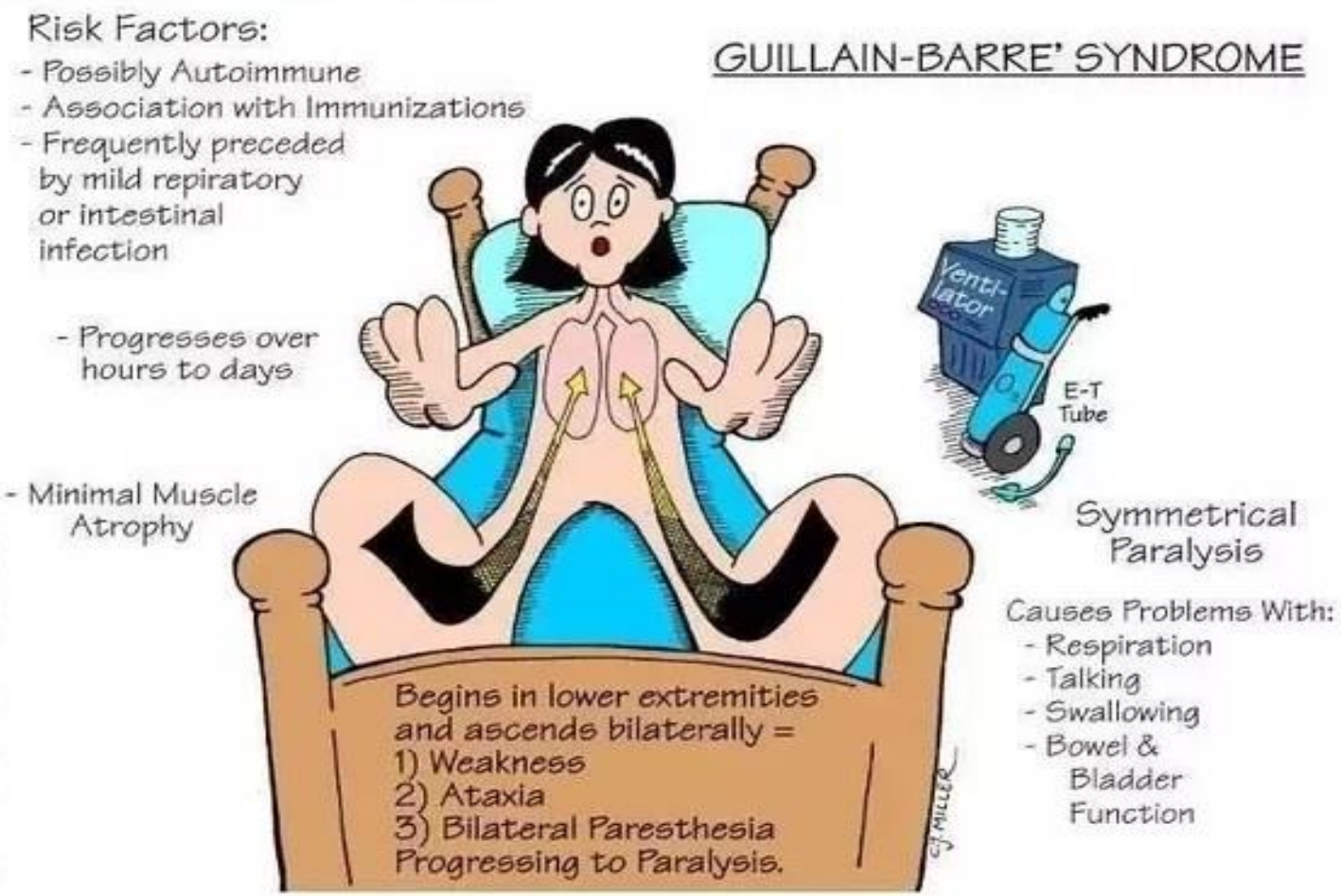
➔ **गुइलेन बैरे सिंड्रोम और कोविड-19:** कोविड-19 से पीड़ित वयस्कों और बच्चों दोनों में GBS के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोविड-19 टीकों के प्रशासन के बाद GBS के मामलों पर भी चिंता जताई गई है।